



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 20.06.2022

08 अभियुक्तों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/ प्रभावी पैरवी के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के 08 गुण्डा अपराधियों को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निम्न अपराधी अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी दे।

जिला बदर किए गए अपराधियों का विवरण:-

- 1) रामराज पुत्र टेरा निवासी ग्राम टोला माफ थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को दिनांक 30.05.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 2) रमेश पुत्र खुशहाली निवासी ग्राम लोदीपुर थाना बिवार जनपद हमीरपुर को दिनांक 11.05.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 3) मुन्ना पुत्र गणेश निवासी ग्राम बरौली थाना राठ जनपद हमीरपुर को दिनांक 28.05.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 4) संदीप पुत्र राम अवतार निवासी ग्राम गौहानी थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दिनांक 10.05.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 5) पवन पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम सिकरौधा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को दिनांक 26.05.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 6) धर्मपाल पुत्र चुनती राजपूत निवासी ग्राम सिकरौधा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को दिनांक 26.05.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 7) भोला पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम बसरिया थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दिनांक 30.05.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 8) अनिल राजपूत पुत्र माधव निवासी ग्राम बसरिया थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दिनांक 30.05.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।